उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1

संख्या-2/2019/आडिट-1-94/दस-2019-320(4)/2018

लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत निम्नलिखित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/ पदनाम (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती जनपद/मण्डल	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	कैलाश चन्द्र मिश्र उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	मुरादाबाद मण्डल	(1) उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल (2) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जनपद मेरठ एवं हापुड़
2	राकेश कुमार सिंह उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	अलीगढ़ मण्डल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जनपद एटा एवं हाथरस
3	आनन्द प्रकाश पाठक जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	भदोही	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जौनपुर
4	इच्छा राम यादव जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	ललितपुर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जालौन

2- उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

शंकेश्वर त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-2/2019/आडिट-1-94(1)/दस-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

4- सम्बन्धित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी।

5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

आज्ञा से,
बराती लाल
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in